रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925
No. 913] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1154(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1\. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2\. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में -

क. विद्यमान अनुसूची III के लिए, निम्नलिखित अनुसूची III प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"*अनुसूची III*

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992

[विनियम 13]

मर्चेंट बैंककारों के लिए आचार संहिता

1\. मर्चेंट बैंककार विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए समस्त प्रयास करेगा ।

2. मर्चेंट बैंककार इसके कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा, गरिमा और औचित्य के उच्च मानक बनाये रखेगा ।

3. मर्चेंट बैंककार तत्पर, सदाचारिक और वृत्तिक रीति में इसकी बाध्यताओं को पूरा करेगा ।

4. मर्चेंट बैंककार सभी समयों पर सम्यक तत्परता बरतेगा, समुचित सतर्कता सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करेगा ।

5. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि -

   क. विनिधानकर्ताओं से पूछताछों पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जाती है ;
   ख. विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को यथासमय और समुचित रीति में दूर किया जाता है ;
   ग. जहाँ शिकायत का उपचार तत्परता से नहीं किया जाता है, तो विनिधानकर्ता को किन्हीं अगले उपायों की सूचना दी जाती है जो विनियामक प्रणाली के अधीन विनिधानकर्ता को उपलब्ध हों ।

6. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त प्रकटीकरण निवेशकों को लागू विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार यथासमय रीति में किये जाते हैं ताकि वे संतुलित और सूचित विनिश्चय करने में समर्थ बन सकें ।

7. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि विनिधानकर्ताओं को कोई भ्रामक या बढ़ा-चढ़ाकर दावे या कोई दुर्व्यपदेशन किये बिना सत्य और पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करायी जाती है और कोई विनिधान विनिश्चय लेने से पहले तत्संबद्ध जोखिमों की जानकारी दी जाती है ।

8. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि विवरण पत्रिका (प्रॉस्पेक्टस), प्रस्ताव दस्तावेज, प्रस्ताव पत्र या किसी अन्य संबंधित साहित्य की प्रतियाँ निर्गम या प्रस्ताव के समय विनिधानकर्ताओं को उपलब्ध करायी जाती हैं ।

9. मर्चेंट बैंककार इसके ग्राहकों में विभेद नहीं करेगा, इसके सिवाय और इसे छोड़कर कि सदाचारिक और वाणिज्यिक बातों पर ।

10. मर्चेंट बैंककार कोई कथन नहीं करेगा, या तो मौखिक या लिखित, जो उन सेवाओं का दुर्व्यपदेशन करेगा जिन्हें कि मर्चेंट बैंककार किसी ग्राहक के लिए करने में समर्थ है या ने किसी ग्राहक को दी हैं ।

11. मर्चेंट बैंककार हित संघर्ष से बचेगा और उसके हित का पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा ।

12. मर्चेंट बैंककार किसी हित संघर्ष की स्थिति जो इसके कारबार के संचालन में पैदा हो सकती हो का निवारण करने के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करेगा या जहाँ कोई हित संघर्ष पैदा होता है, तो इसका निवारण करने मे लिए साम्यापूर्ण रीति में युक्तियुक्त कदम उठायेगा ।

13. मर्चेंट बैंककार ग्राहक को मर्चेंट बैंककार के रूप में कार्य करने के दौरान होनेवाले कर्तव्य एवं हित संघर्ष के इसके संभव स्रोत या संभाव्य क्षेत्रों का समुचित प्रकटीकरण करेगा जो ऋजु, उद्देश्यप्रद और अपक्षपाती सेवाएँ देने में इसकी योग्यता को ह्रासित करेंगे ।

14. मर्चेंट बैंककार सदैव ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सलाह देने का प्रयास करेगा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ।

15. मर्चेंट बैंककार किसी को चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, इसके ग्राहकों के बारे में कोई गोपनीय जानकारी जो इसकी जानकारी में आ गयी हो, इसके ग्राहकों की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना प्रकट नहीं करेगा सिवाय इसके कि जहाँ ऐसे प्रकटीकरण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अनुपालना में किये जाने अपेक्षित हों ।

16. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में किसी परिवर्तन / बोर्ड द्वारा की गई किसी शास्तिक कार्रवाई या मर्चेंट बैंककार की वित्तीय प्रास्थिति में किसी तात्विक परिवर्तन, जो ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो की सूचना ग्राहकों को तत्परता से दी जाती है और शेष बकाया कोई कारबार एक अन्य रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती को प्रभावित ग्राहकों के किन्हीं अनुदेशों के अनुसार अंतरित कर दिया जाता है।

17. मर्चेंट बैंककार किसी अऋजु प्रतियोगिता में लिप्त नहीं होगा, यथा ग्राहकों को उच्चतर प्रीमियम या फायदेमंद प्रस्ताव कीमत के आश्वासन पर विमुख करना या जिससे अन्य मर्चेंट बैंककारों या विनिधानकर्ताओं के हितों को अपहानि होने की संभावना है या ऐसे अन्य मर्चेंट बैंककारों के प्रतिकूल स्थिति में आ जाने की संभावना है किसी कर्तव्यभार हेतु प्रतियोगिता या के निष्पादन के समय ।

18. मर्चेंट बैंककार इसके मर्चेंट बैंककारी क्रियाकलाप और किसी अन्य क्रियाकलाप के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाये रखेगा ।

19. मर्चेंट बैंककार के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ और वित्तीय तथा प्रचालनगत क्षमताएँ होंगी जो इसके प्रचालनों, इसके ग्राहकों, विनिधानकर्ताओं और अन्य रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं (एंटिटीज) को चोरी, कपट, और अन्य बेईमानी के कृत्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों से उद्भूत वित्तीय हानि से संरक्षित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकती हैं ।

20. मर्चेंट बैंककार बोर्ड को प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों या जानकारी में कोई असत्य कथन नहीं करेगा या कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपायेगा ।

21. मर्चेंट बैंककार ज्ञान और सक्षमता का समुचित स्तर बनाये रखेगा और अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये विनियमों, परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों का पालन करेगा, जो इसके द्वारा किये गये क्रियाकलापों के प्रति लागू और सुसंगत हों । मर्चेंट बैंककार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णायक के पंचाट का भी अनुपालन करेगा ।

22. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड को बोर्ड की या किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियमों, विनियमों, और निदेशों के किसी तात्विक भंग या की इसके द्वारा अननुपालना की बाबत इसके खिलाफ शुरु की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि की सूचना तत्परता से दी जाती है ।

23.

(क) मर्चेंट बैंककार या इसके कर्मचारियों में से कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, किसी सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया में किसी प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह, चाहे वास्तविक समय या अवास्तविक समय आधार पर नहीं देगा, जब तक कि इसके हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है न किया गया हो, ऐसी सलाह देते समय ।

(ख) मर्चेंट बैंककार के कर्मचारी द्वारा ऐसी सलाह दिये जाने की दशा में, मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कर्मचारी स्वयं के, उसके आश्रित पारिवारिक सदस्यों और नियोक्ता मर्चेंट बैंककार के हितों, यदि कोई हों, जिसमें उक्त प्रतिभूति में उनकी बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है का भी प्रकटीकरण करेगा, ऐसी सलाह देते समय ।

24. मर्चेंट बैंककार इसके द्वारा नियुक्त विभिन्न मध्यवर्तियों की जिम्मेदारियों का अभ्यंकन स्पष्ट रूप से करेगा ताकि उनके कार्य-विवरण में कोई विरोध या भ्रम से बचा जा सके ।

25. मर्चेंट बैंककार इसके अनुपालना अधिकारी को अनुपालना अधिकारी के कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ देगा ।

26. मर्चेंट बैंककार इसके आंतरिक प्रचालनों को नियंत्रित करने और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए उनके कर्तव्यों को निभाने में समुचित संचालन के इसके मानकों को अधिकथित करने के लिए इसकी स्वयं की आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा । ऐसी संहिता वृत्तिक उत्कर्ष तथा मानकों, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, उद्देश्यप्रदता, हित संघर्ष से बचाव या का निवारण, शेयरधारिताओं तथा हितों के प्रकटीकरण आदि को बनाये रख सकेगी ।

27. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कंपनी (निगम) नीतियाँ और कंपनी शासन उपलब्ध हो ।

28. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जिसे यह कारबार संचालन के लिए नियोजित या नियुक्त करता है उपयुक्त तथा उचित है और अन्यथा इस प्रकार नियोजित या नियुक्त (जिसमें सुसंगत वृत्तिक प्रशिक्षण या अनुभव रखने वाला सम्मिलित है) हैसियत में कार्य करने के लिए अर्हित है ।

29. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि इसके पास तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और यह इसके कारबार के संचालन में इसके द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों का तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करता है, प्रतिभूति बाजार में व्यौहारों की बाबत ।

30. मर्चेंट बैंककार इसके कारबार के संचालन की बाबत इसके कर्मचारियों और एजेंटों के कृत्यों या लोपों के लिए जिम्मेदार होगा ।

31. मर्चेंट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि ज्येष्ठ प्रबंधन, विशिष्टतया विनिश्चयकर्ताओं को यथासमय आधार पर कारबार के बारे में समस्त सुसंगत जानकारी तक पहुंच हो ।

32. मर्चेंट बैंककार -

क. मिथ्या बाजार के सृजन ;
ख. कीमत हेरफेर या छलसाधन ; या
ग. प्रतिभूतियों जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं की बाबत अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्रतिभूति बाजार में किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती को देने

में पक्षकार नहीं होगा या के लिए अभिकरण नहीं होगा । "

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18339/2003]
ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992, फा.सं. 20/15/एसई/92, 22 दिसम्बर 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् :

(क) 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 396(अ), द्वारा

(ख) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

(ग) 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, फा.सं. भाप्रविबो/एलई-I/9/95, द्वारा

(घ) 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 837 (अ), द्वारा

(ङ) 21 जनवरी, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 74 (अ), द्वारा

(च) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 799 (अ), द्वारा

(छ) 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1119 (अ), द्वारा

(ज) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा

(झ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2003

Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1154(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992-

a. For the existing Schedule III, the following schedule III shall be substituted, namely : -

"Schedule III

Securities and Exchange Board of India
(Merchant Bankers) Regulations, 1992
[Regulation 13]

CODE OF CONDUCT FOR MERCHANT BANKERS

1. A Merchant Banker shall make all efforts to protect the interests of investors.
2. A Merchant Banker shall maintain high standards of integrity, dignity and fairness in the conduct of its business.
3. A Merchant Banker shall fulfill its obligations in a prompt, ethical, and professional manner.
4. A Merchant Banker shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
5. A Merchant Banker shall endeavor to ensure that-
   a. inquiries from investors are adequately dealt with;
   b. grievances of investors are redressed in a timely and appropriate manner;
   c. where a complaint is not remedied promptly, the investor is advised of any further steps which may be available to the investor under the regulatory system.

6. A Merchant Banker shall ensure that adequate disclosures are made to the investors in a timely manner in accordance with the applicable regulations and guidelines so as to enable them to make a balanced and informed decision.
7. A Merchant Banker shall endeavor to ensure that the investors are provided with true and adequate information without making any misleading or exaggerated claims or any misrepresentation and are made aware of the attendant risks before taking any investment decision.
8. A Merchant Banker shall endeavor to ensure that copies of the prospectus, offer document, letter of offer or any other related literature is made available to the investors at the time of issue or the offer.
9. A Merchant Banker shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.
10. A Merchant Banker shall not make any statement, either oral or written, which would misrepresent the services that the Merchant Banker is capable of performing for any client or has rendered to any client.
11. A Merchant Banker shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest.
12. A Merchant Banker shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.
13. A Merchant Banker shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as Merchant Banker which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.
14. A Merchant Banker shall always endeavor to render the best possible advice to the clients having regard to their needs.
15. A Merchant Banker shall not divulge to anybody either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about its clients which has come to its knowledge, without taking prior permission of its clients, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.
16. A Merchant Banker shall ensure that any change in registration status / any penal action taken by the Board or any material change in the Merchant Banker's

financial status, which may adversely affect the interests of clients / investors is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered intermediary in accordance with any instructions of the affected clients.

17. A Merchant Banker shall not indulge in any unfair competition, such as weaning away the clients on assurance of higher premium or advantageous offer price or which is likely to harm the interests of other Merchant Bankers or investors or is likely to place such other Merchant Bankers in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.

18. A Merchant Banker shall maintain arms length relationship between its merchant banking activity and any other activity.

19. A Merchant Banker shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its clients, investors and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

20. A Merchant Banker shall not make untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports or information furnished to the Board.

21. A Merchant Banker shall maintain an appropriate level of knowledge and competence and abide by the provisions of the Act, regulations made thereunder, circulars and guidelines, which may be applicable and relevant to the activities carried on by it. The merchant banker shall also comply with the award of the Ombudsman passed under Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

22. A Merchant Banker shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceedings etc., initiated against it in respect of material breach or non compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the Board or of any other regulatory body.

23. (a) A Merchant Banker or any of its employees shall not render, directly or indirectly, any investment advice about any security in any publicly accessible media, whether real-time or non real-time, unless a disclosure of his interest including a long or short position, in the said security has been made, while rendering such advice.

(b) In the event of an employee of the Merchant Banker rendering such advice, the merchant banker shall ensure that such employee shall also disclose the interests, if any, of himself, his dependent family members and the employer

merchant banker, including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

24. A Merchant Banker shall demarcate the responsibilities of the various intermediaries appointed by it clearly so as to avoid any conflict or confusion in their job description.

25. A Merchant Banker shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of the compliance officer's duties.

26. A Merchant Banker shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in carrying out their duties. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance or resolution of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests etc.

27. A Merchant Banker shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.

28. A Merchant Banker shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed (including having relevant professional training or experience)

29. A Merchant Banker shall ensure that it has adequate resources to supervise diligently and does supervise diligently persons employed or appointed by it in the conduct of its business, in respect of dealings in securities market.

30. A Merchant Banker shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect of the conduct of its business.

31. A Merchant Banker shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis.

32. A Merchant Banker shall not be a party to or instrumental for -

    a. creation of false market;

    b. price rigging or manipulation or;

    c. passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary in the securities market.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/18339/2003]

GYANENDRA NATH BAJPAI, Chairman

Foot Note :

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was published in Official Gazette of India on 22nd December, 1992 vide F.No. 20/15/SE/92.
2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was subsequently amended :
   (a) on 7th September, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 396 (E);
   (b) on November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);
   (c) on June 6, 1996 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers)(Amendment) Regulations, 1996 vide F.No. SEBI/LE-I/9/95;
   (d) on December 9, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 837 (E);
   (e) on January 21, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 74 (E).
   (f) on September 30, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 799(E).
   (g) on November 17, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 1119 (E).
   (h) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).
   (i) on May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).
   (j) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

****

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1155(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में -

क. विद्यमान अनुसूची III के लिए, निम्नलिखित अनुसूची III प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"अनुसूची III

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993

[विनियम 16]

आचार संहिता

1. डिबेंचर न्यासी डिबेंचर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए समस्त प्रयास करेगा।

2. डिबेंचर न्यासी इसके कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा, गरिमा और औचित्य के उच्च मानकों को बनाये रखेगा।

3. डिबेंचर न्यासी तत्पर, सदाचारिक और वृत्तिक रीति में इसकी बाध्यताओं को पूरा करेगा ।

4. डिबेंचर न्यासी सभी समयों पर सम्यक तत्परता बरतेगा, समुचित सतर्कता सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करेगा ।

5. डिबेंचर न्यासी इसके प्रत्येक ग्राहक की सही और पूरी पहचान, और प्रत्येक ग्राहक की वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा, और उसका अभिलेख बनाये रखेगा।

6. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में किसी परिवर्तन / बोर्ड द्वारा की गई किसी शास्तिक कार्रवाई या वित्त में किसी तात्विक परिवर्तन जो ग्राहकों / डिबेंचरधारकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो की सूचना ग्राहकों को तत्परता से दी जाती है और शेष बकाया कोई कारबार एक अन्य रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती को प्रभावित ग्राहकों के किन्हीं अनुदेशों के अनुसार अंतरित कर दिया जाता है।

7. डिबेंचर न्यासी हित संघर्ष से बचेगा और इसके हित का पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा ।

8. डिबेंचर न्यासी किसी को चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, इसके ग्राहकों के बारे में कोई गोपनीय जानकारी जो इसकी जानकारी में आ गयी हो, इसके ग्राहकों की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना प्रकट नहीं करेगा सिवाय इसके कि जहाँ ऐसे प्रकटीकरण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अनुपालना में किये जाने अपेक्षित हों ।

9. डिबेंचर न्यासी किसी हित संघर्ष की स्थिति जो इसके कारबार के संचालन में पैदा हो सकती हो का निवारण करने के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करेगा या जहाँ कोई हित संघर्ष पैदा होता है, तो इसका निवारण करने मे लिए साम्यापूर्ण रीति में युक्तियुक्त कदम उठायेगा ।

10. डिबेंचर न्यासी ग्राहक को डिबेंचर न्यासी के रूप में कार्य करने के दौरान होनेवाले कर्तव्य एवं हित संघर्ष के इसके संभव स्रोत या संभाव्य क्षेत्रों का समुचित प्रकटीकरण करेगा जो ऋजु, उद्देश्यप्रद और अपक्षपाती सेवाएँ देने में इसकी योग्यता को ह्रासित करेंगे ।

11. डिबेंचर न्यासी किसी अऋजु प्रतियोगिता में लिप्त नहीं होगा, जिससे अन्य डिबेंचर न्यासियों या डिबेंचरधारकों के हितों को अपहानि होने की संभावना है या ऐसे अन्य डिबेंचर न्यासियों के प्रतिकूल स्थिति में आ जाने की संभावना है किसी कर्तव्यभार हेतु प्रतियोगिता या के निष्पादन के समय, न ही यह निम्नतर फीस के आश्वासन पर अन्य न्यासियों के ग्राहकों को विमुख करेगा।

12. डिबेंचर न्यासी इसके ग्राहकों में विभेद नहीं करेगा, इसके सिवाय और इसे छोड़कर कि सदाचारिक और वाणिज्यिक बातों पर ।

13. डिबेंचर न्यासी ग्राहक कंपनियों के संबंध में इसके पास उपलब्ध जानकारी का रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसियों के साथ आदान प्रदान करेगा।

14. डिबेंचर न्यासी ग्राहकों और डिबेंचर धारकों को इसके कारबार के बार में पर्याप्त और समुचित जानकारी देगा, जिसमें संपर्क संबंधी ब्यौरे, ग्राहकों को उपलब्ध सेवाएँ, और

कर्मचारियों की पहचान तथा हैसियत और इसकी ओर से कार्य कर रहे अन्य जिनसे ग्राहक को संपर्क करना हो सकेगा शामिल है।

15. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि डिबेंचर धारकों को पर्याप्त प्रकटीकरण ग्राह्य और यथासमय रीति में किये जाते हैं ताकि संतुलित और सूचित विनिश्चय करने में समर्थ बन सकें ।

16. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि -

क. डिबेंचरधारकों से पूछताछों पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जाती है ;

ख. डिबेंचरधारकों की शिकायतों को यथासमय और समुचित रीति में दूर किया जाता है ;

ग. जहाँ शिकायत का उपचार तत्परता से नहीं किया जाता है, तो डिबेंचरधारक को किन्हीं अगले उपायों की सूचना दी जाती है जो विनियामक प्रणाली के अधीन डिबेंचर धारक को उपलब्ध हों ।

17. डिबेंचर न्यासी दुर्व्यपदेशन से बचने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा और सुनिश्चित करेगा कि डिबेंचरधारकों को प्रदान की गयी जानकारी भाम्रक नहीं है।

18. डिबेंचर न्यासी ज्ञान और सक्षमता का समुचित स्तर बनाये रखेगा और अधिनियम, विनियमों, परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों का पालन करेगा। डिबेंचर न्यासी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णायक के पंचाट का भी अनुपालन करेगा ।

19. डिबेंचर न्यासी बोर्ड को प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या जानकारी में कोई असत्य कथन नहीं करेगा या कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपायेगा ।

20. डिबेंचर न्यासी या इसके निदेशकों, साझेदारों या प्रबंधक में से कोई जिसके पास कारबार के कामकाज का संपूर्ण या पर्याप्त रूप से संपूर्ण प्रबंधन हो, या तो इसके खाते या उनके अपने अपने खातों के माध्यम से या उनके सहयुक्तों या पारिवारिक सदस्यों, नातेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अंतरंग व्यापार में लिप्त नहीं होगा ।

21. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड को बोर्ड की या किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियमों, विनियमों निदेशों के किसी तात्विक भंग या की इसके द्वारा अननुपालना की बाबत इसके खिलाफ शुरु की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि की सूचना तत्परता से दी जाती है ।

22. (क) डिबेंचर न्यासी या उसके कर्मचारियों में से कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया में किसी प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह, चाहे वास्तविक समय या अवास्तविक समय आधार पर नहीं देगा, जब तक कि उसके हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में बिक्री से

अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है न किया गया हो, ऐसी सलाह देते समय ।

(ख) यदि, डिबेंचर न्यासी का कर्मचारी ऐसी सलाह दे रहा है, तो डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि वह [redacted] के हित, उसके आश्रित पारिवारिक सदस्यों और नियोक्ता के भी हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में उनकी बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है देता है, ऐसी सलाह देते समय।

23. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जिसे यह कारबार संचालन के लिए नियोजित या नियुक्त करता है उपयुक्त तथा उचित है और अन्यथा इस प्रकार नियोजित या नियुक्त (जिसमें सुसंगत वृत्तिक प्रशिक्षण या अनुभव रखने वाला सम्मिलित है) हैसियत में कार्य करने के लिए अर्हित है ।

24. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि इसके पास तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और यह इसकी ओर से कारबार का संचालन करने के लिए इसके द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों का तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करता है ।

25. डिबेंचर न्यासी के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ और वित्तीय तथा प्रचालनगत क्षमताएँ होंगी जो इसके प्रचालनों, इसके ग्राहकों, डिबेंचरधारकों और अन्य रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं (एंटिटीज) को चोरी, कपट, और अन्य बेईमानी के कृत्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों से उद्भूत वित्तीय हानि से संरक्षित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकती हैं।

26. डिबेंचर न्यासी इसके कारबार के संचालन की बाबत इसके कर्मचारियों और एजेंटों के कृत्यों या लोपों के लिए जिम्मेदार होगा ।

27. डिबेंचर न्यासी इसके अनुपालना अधिकारी को इसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ देगा ।

28. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि ज्येष्ठ प्रबंधन, विशिष्टतया विनिश्चयकर्ताओं को यथासमय आधार पर कारबार के बारे में समस्त सुसंगत जानकारी तक पहुंच हो ।

29. डिबेंचर न्यासी सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कंपनी (निगम) नीतियाँ और कंपनी शासन उपलब्ध हो।

30. डिबेंचर न्यासी इसके आंतरिक प्रचालनों को नियंत्रित करने और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए उनके कर्तव्यों को निभाने में समुचित संचालन के इसके मानकों को अधिकथित करने के लिए इसकी स्वयं की आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा । ऐसी संहिता वृत्तिक उत्कर्ष तथा मानकों, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, उद्देश्यप्रदता, हित संघर्ष से बचाव, शेयरधारिताओं तथा हितों के प्रकटीकरण आदि को बनाये रख सकेगी ।

31. डिबेंचर न्यासी -

क. मिथ्या बाजार के सृजन ;

ख. कीमत हेरफेर या छलसाधन ;

ग. प्रतिभूतियों जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं की बाबत अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती को देने

में पक्षकार नहीं होगा । "

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18336/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, सं. सेबी/एलई/12/93, 29 दिसम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

1. यह तत्पश्चात् -

(क) 28 नवंबर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939 (अ), द्वारा

(ख) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 16 (अ), द्वारा

(ग) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 795 (अ), द्वारा

(घ) 17 फरवरी, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 135 (अ), द्वारा

(ङ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा

(च) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

(छ) 27 सितंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का. आ. सं. 1045(अ), द्वारा

(ज) 04 जुलाई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2002, सं. का.आ. 763 (अ) द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2003

Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1155(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 -

a. For the existing Schedule III, the following schedule III shall be substituted, namely : -

"*Schedule III*

Securities and Exchange Board of India
(Debenture Trustees) Regulations, 1993
[Regulation 16]

CODE OF CONDUCT

1. A Debenture Trustee shall make all efforts to protect the interests of debenture holders.

2. A debenture Trustee shall maintain high standards of integrity, dignity and fairness in the conduct of its business.

3. A Debenture Trustee shall fulfill its obligations in a prompt, ethical and professional manner.

4. A Debenture Trustee shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.

5. A Debenture Trustee shall take all reasonable steps to establish the true and full identity of each of its clients, and of each client's financial situation and maintain record of the same.

6. A Debenture Trustee shall ensure that any change in registration status / any penal action taken by Board or any material change in financial position which may adversely affect the interests of clients /debenture holders is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered intermediary in accordance with any instructions of the affected clients.

7. A Debenture Trustee shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest.

8. A Debenture Trustee shall not divulge to anybody either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about its clients which has come to its knowledge, without taking prior permission of its clients, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.

9. A Debenture Trustee shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any

conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.

10. A Debenture Trustee shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as Debenture Trustee which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

11. A Debenture Trustee shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other trustees or debenture holders or is likely to place such other debenture trustees in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment nor shall it wean away the clients of another trustee on assurance of lower fees.

12. A Debenture Trustee shall not discriminate among its clients, except and save on ethical and commercial considerations.

13. A Debenture Trustee shall share information available with it regarding client companies, with registered credit rating agencies.

14. A Debenture Trustee shall provide clients and debenture holders with adequate and appropriate information about its business, including contact details, services available to clients, and the identity and status of employees and others acting on its behalf with whom the client may have to contact.

15. A Debenture Trustee shall ensure that adequate disclosures are made to the debenture holders, in a comprehensible and timely manner so as to enable them to make a balanced and informed decision.

16. A Debenture Trustee shall endeavor to ensure that-

a. Inquiries from debenture holders are adequately dealt with;

b. Grievances of debenture holders are redressed in a timely and appropriate manner;

c. Where a complaint is not remedied promptly, the debenture-holder is advised of any further steps which may be available to the debenture holder under the regulatory system.

17. A Debenture Trustee shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the information provided to the debenture holders is not misleading.

18. A Debenture Trustee shall maintain required level of knowledge and competency and abide by the provisions of the Act, regulations and circulars and Guidelines. The Debenture Trustee shall also comply with the award of the Ombudsman passed under Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

19. A Debenture Trustee shall not make untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Board.

20. A Debenture Trustee or any of its directors, partners or manager having the management of the whole or substantially the whole of affairs of the business, shall not either through its account or their respective accounts or through their associates or family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

21. A Debenture Trustee shall ensure that the board is promptly informed about any action, legal proceeding etc. initiated against it in respect of any material breach or non compliance by it, of any law, rules, regulations directions of the board or of any other regulatory body.

22. (a) A Debenture Trustee or any of his employees shall not render, directly or indirectly, any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non real-time unless a disclosure of his interest

including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.

(b) In case, an employee of the Debenture Trustee is rendering such advice, the Debenture Trustee shall ensure that he discloses his interest, the interest of his dependent family members and that of the employer, including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

23. A Debenture Trustee shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed (including having relevant professional training or experience).

24. A Debenture Trustee shall ensure that it has adequate resources to supervise diligently and does supervise diligently persons employed or appointed by it to conduct business on its behalf.

25. A Debenture Trustee shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its clients, debenture holders and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

26. A Debenture Trustee shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect to the conduct of its business.

27. A Debenture Trustee shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of its duties.

28. A Debenture Trustee shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis.

29. A Debenture Trustee shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place.

30. A Debenture Trustee shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests etc.

31. A Debenture Trustee shall not be party to -

i. Creation of false market;

ii. Price rigging or manipulation;

iii. Passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary.

[F.No. SEBI/LAD/DOP/18336/2003]
GYANENDRA NATH BAJPAI, Chairman

Foot Note :

1. Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the principal regulation was published in the Gazette of India on December 29, 1993, vide No. SEBI/LE/12/93.

2. It was subsequently amended –

(a) on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E).

(b) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O.16 (E).

(c) on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 795 (E).

(d) on February 17, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 135 (E).

(e) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).

(f) on May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

(g) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

(h) on July 04, 2003 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 763 (E).

****

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1156(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1.(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में -

क. विनियम 20 के पश्चात्, विनियम 21 के पूर्व, निम्नलिखित नया विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" सहभागी - आचार संहिता का पालन करना

20क प्रमाणपत्र धारण करने वाला सहभागी, सभी समयों पर, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा ।"

ख. दूसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित तीसरी अनुसूची अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

" *तीसरी अनुसूची*

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(निक्षेपागार और सहभागी) *विनियम, 1996*

[विनियम 20क]

सहभागियों के लिए आचार संहिता

1. सहभागी विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए समस्त प्रयास करेगा ।

2. सहभागी सदैव -

   क. ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सलाह देने का प्रयास करेगा ग्राहकों की आवश्यकताओं और परिवेश और उसके स्वयं के व्यावसायिक कौशल को ध्यान में रखते हुए ;

   ख. सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि समस्त वृत्तिक व्यौहार तत्पर, दक्ष और प्रभावी रीति में किये जाते हैं ;

   ग. प्रयास करेगा कि विनिधानकर्ताओं से पूछताछों पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जाती है ;

   घ. प्रयास करेगा कि विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को बिना किसी विलंब के दूर किया जाता है ।

3. सहभागी इसके कारबार के संचालन में इसके ग्राहकों और अन्य मध्यवर्तियों के साथ इसके समस्त व्यौहारों में सत्यनिष्ठा के उच्च मानक बनाये रखेगा ।

4. सहभागी हिताधिकारी स्वामी खाते को खोलने, अभौतिकीकरण अनुरोध प्ररूप, पुन:भौतिकीकरण अनुरोध प्ररूप को प्रेषित करने और नामे अनुदेश पर्ची के निष्पादन में और हिताधिकारी स्वामियों की ओर से उसके द्वारा किये गये समस्त अन्य क्रियाकलापों में तत्पर रहेगा और तत्परता बरतेगा ।

5. सहभागी इसके खिलाफ या इसके द्वारा किये गये क्रियाकलापों की बाबत समस्त शिकायतों का यथासंभव शीघ्र निवारण करने का प्रयास करेगा, और प्राप्ति के एक मास के अपश्चात्।

6. सहभागी हिताधिकारी स्वामियों को समुचित अग्रिम सूचना दिये बिना दी गई सेवाओं के लिए प्रभारों / फीस को नहीं बढ़ायेगा ।

7. सहभागी किसी अऋजु प्रतियोगिता में लिप्त नहीं होगा, जिससे अन्य सहभागियों या विनिधानकर्ताओं के हितों को अपहानि होने की संभावना है या ऐसे अन्य सहभागियों के प्रतिकूल स्थिति में आ जाने की संभावना है किसी कर्तव्यभार हेतु प्रतियोगिता या के निष्पादन के समय ।

8. सहभागी ग्राहकों को बढ़ा-चढ़ाकर कोई कथन नहीं करेगा चाहे मौखिक हो या लिखित न तो कतिपय सेवाएँ देने में इसकी योग्यताओं या क्षमताओं के बारे में न ही अन्य ग्राहकों को दी गई सेवाओं के संबंध में इसकी उपलब्धियों के बारे में ।

9. सहभागी अन्य ग्राहकों, प्रेस या किसी अन्य व्यक्ति को इसके ग्राहकों के बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगा जो इसकी जानकारी में आ गयी हो, ग्राहकों के अनुमोदन / प्राधिकरण अथवा जब किसी अधिनियम, नियमों या विनियमों की अपेक्षाओं के अधीन जानकारी प्रकट करना अपेक्षित हो के बिना ।

10. सहभागी बोर्ड के साथ सहयोग करेगा जब कभी भी अपेक्षित हो ।

11. सहभागी ज्ञान और सक्षमता का अपेक्षित स्तर बनाये रखेगा और अधिनियम, बोर्ड द्वारा जारी नियमों, विनियमों और परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों का पालन करेगा। सहभागी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णायक के पंचाट का भी अनुपालन करेगा ।

12. सहभागी बोर्ड को प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या जानकारी में कोई असत्य कथन नहीं करेगा या कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपायेगा ।

13. सहभागी बोर्ड या अन्य एजेंसियों जिनके पास यह रजिस्ट्रीकृत है को ऐसी बहियाँ, दस्तावेज, पत्राचार, और कागजपत्र या उनका कोई भाग प्रस्तुत करने की उपेक्षा नहीं करेगा या में विफल नहीं होगा या से इंकार नहीं करेगा जैसी समय-समय पर मांग / अनुरोध किया जाये।

14. सहभागी सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड को बोर्ड की या किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियमों, विनियमों, निदेशों के किसी तात्विक भंग या की इसके द्वारा अननुपालना की बाबत इसके खिलाफ शुरु की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि की सूचना तत्परता से दी जाती है ।

15. सहभागी समस्त रूपों में प्राप्त समस्त प्रकारों की डाक के लिए समुचित आवक-डाक प्रणाली बनाये रखेगा ।

16. सहभागी आँकड़ों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए और अनधिकृत संव्यवहार की पड़ताल करने के लिए व्यवस्था के तौर पर इसके समस्त क्रियाकलापों में मेकर-चैकर संकल्पना का अनुसरण करेगा ।

17. सहभागी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक कदम उठायेगा कि आँकड़ों और अभिलेख को रखने की निरंतरता को बनाये रखा जाता है और कि आँकड़े या अभिलेख खोते या नष्ट नहीं होते हैं । यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख और आँकड़ों के लिए, इसके पास सदैव अद्यतन बैक-अप उपलब्ध है ।

18. सहभागी इसके अनुपालना अधिकारी को उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ देगा ।

19. सहभागी सुनिश्चित करेगा कि इसके पास समाधानप्रद आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ उपलब्ध हों और साथ ही पर्याप्त वित्तीय तथा प्रचालनगत क्षमताएँ हों जो चोरी, कपट, और अन्य बेईमानी के कृत्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों के कारण उद्भूत किन्हीं हानियों से सावधानी बरतने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकती हैं ।

20. सहभागी इसके कारबार के संचालन की बाबत इसके कर्मचारियों और एजेंटों के कृत्यों या लोपों के लिए जिम्मेदार होगा ।

21. सहभागी सुनिश्चित करेगा कि ज्येष्ठ प्रबंधन, विशिष्टतया विनिश्चयकर्ताओं को यथासमय आधार पर कारबार के बारे में समस्त सुसंगत जानकारी तक पहुंच हो ।

22. सहभागी सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कंपनी (निगम) नीतियाँ और कंपनी शासन उपलब्ध हो।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18338/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, मूल विनियम, सं. का.आ. 345 (अ), 16 मई 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -

   (क) 7 फरवरी, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997; सं. का.आ. 91 (अ), द्वारा

   (ख) 5 सितम्बर, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 640 (अ), द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 18 (अ), द्वारा

(घ) 21 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 76 (अ), द्वारा

(ङ) 20 मई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 357 (अ), द्वारा

(च) 7 जुलाई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 546 (अ), द्वारा

(छ) 21 सितम्बर, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 775 (अ), द्वारा

(ज) 26 दिसंबर, 2000 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 1160 (अ), द्वारा

(झ) 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476 (अ), द्वारा

(ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

(ट) 16 जून, 2003 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 696 (अ), द्वारा

(ठ) 2 सितम्बर, 2003 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1014 (अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2003

Securities and Exchange Board of India
(Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1156(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of tneir publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 -

a. After Regulation 20, before Regulation 21, the following new Regulation shall be inserted, namely : -

" **Participants to abide by Code of Conduct**

20A The Participant holding a certificate shall, at all times, abide by the Code of Conduct as specified in Third Schedule".

b. After SECOND SCHEDULE, the following THIRD SCHEDULE shall be inserted, namely : -

"*THIRD SCHEDULE*

Securities and Exchange Board of India
*(*Depositories and Participants*) Regulations, 1996*
[Regulation 20A]

CODE OF CONDUCT FOR PARTICIPANTS

1. A Participant shall make all efforts to protect the interests of investors.
2. A Participant shall always endeavor to-
    a. render the best possible advice to the clients having regard to the clients' needs and the environments and his own professional skills;
    b. ensure that all professional dealings are affected in a prompt, effective and efficient manner;
    c. inquiries from investors are adequately dealt with;
    d. grievances of investors are redressed without any delay.
3. A Participant shall maintain high standards of integrity in all its dealings with its clients and other intermediaries, in the conduct of its business.
4. A Participant shall be prompt and diligent in opening of a beneficial owner account, dispatch of the Dematerialisation Request Form, Rematerialisation Request Form and execution of Debit Instruction Slip and in all the other activities undertaken by him on behalf of the beneficial owners.
5. A Participant shall endeavor to resolve all the complaints against it or in respect of the activities carried out by it as quickly as possibie, and not later than one month of receipt.

6. A Participant shall not increase charges / fees for the services rendered without proper advance notice to the Beneficial Owners.
7. A Participant shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other Participants or investors or is likely to place such other Participants in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.
8. A Participant shall not make any exaggerated statement whether oral or written to the clients either about its qualifications or capability to render certain services or about its achievements in regard to services rendered to other clients.
9. A Participant shall not divulge to other clients, press or any other person any information about its clients which has come to its knowledge except with the approval / authorisation of the clients or when it is required to disclose the information under the requirements of any Act, Rules or Regulations.
10. A Participant shall co-operate with the Board as and when required.
11. A Participant shall maintain the required level of knowledge and competency and abide by the provisions of the Act, Rules, Regulations and circulars and directions issued by the Board. The Participant shall also comply with the award of the Ombudsman passed under Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.
12. A Participant shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Board.
13. A Participant shall not neglect or fail or refuse to submit to the Board or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence, and papers or any part thereof as may be demanded / requested from time to time.
14. A Participant shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceedings etc., initiated against it in respect of material breach or non compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the Board or of any other regulatory body.
15. A Participant shall maintain proper inward system for all types of mail received in all forms.
16. A Participant shall follow the Maker - Checker concept in all of its activities to ensure the accuracy of the data and as a mechanism to check unauthorized transaction.
17. A Participant shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or

destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.

18. A Participant shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of his duties.

19. A Participant shall ensure that it has satisfactory internal control procedures in place as well as adequate financial and operational capabilities which can be reasonably expected to take care of any losses arising due to theft, fraud and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

20. A Participant shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect of the conduct of its business.

21. A Participant shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis.

22. A Participant shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/18338/2003]
GYANENDRA NATH BAJPAI, Chairman

Foot note :

1. SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996, the principal regulation, was published in the Gazette of India on May 16, 1996 No. vide S.O. 345 (E).

2. SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 was subsequently amended –

   (a) on February 7, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 91(E).

   (b) on September 5, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 640 (E).

(c) on January 5, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 18 (E).

(d) on January 21, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 76 (E).

(e) on May 20, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 357 (E).

(f) on July 7, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 546 (E).

(g) on September 21, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 775 (E).

(h) on December 26, 2000 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O.1160 (E).

(i) on May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

(j) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

(k) on June 16, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 696 (E).

(l) on September 2, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1014 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1157(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में -

क. विद्यमान अनुसूची III के लिए, निम्नलिखित अनुसूची III प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"*अनुसूची III*

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993

[विनियम 13]

आचार संहिता

1. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता इसके कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा के उच्च मानक बनाये रखेगा।

2. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता तत्पर, सदाचारिक और वृत्तिक रीति में इसकी बाध्यताओं को पूरा करेगा ।

3. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सभी समयों पर सम्यक तत्परता बरतेगा, समुचित सतर्कता सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करेगा ।

4. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण से पहले पर्याप्त सतर्कता, सावधानी और सम्यक् तत्परता बरतेगा यह पुष्टि करते हुए और सत्यापित करते हुए कि अभौतिकीकृत होनेवाली प्रतिभूतियों को स्टाक एक्सचेंज/जों द्वारा सूचीबद्धता अनुज्ञा प्रदान की गयी है ।

5. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि -

   क. विनिधानकर्ताओं से पूछताछों पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जाती है ;
   ख. विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को बिना किसी विलंब के दूर किया जाता है ;
   ग. भौतिक रूप में रखी गयी प्रतिभूतियों का अंतरण और अभौतिकीकरण / पुन:भौतिकीकरण के अनुरोधों की पुष्टि तथा निगम लाभों का संवितरण और प्रतिभूतियों का आबंटन किसी भी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाता है।

6. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता दुर्व्यपदेशन से बचने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा और सुनिश्चित करेगा कि विनिधानकर्ताओं को प्रदान की गयी जानकारी भाम्रक नहीं है।

7. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता अभौतिकीकरण / पुन:भौतिकीकरण के अनुरोधों को सारहीन आधारों पर नामंजूर नहीं करेगा। ऐसे अनुरोध को केवल वैध और समुचित आधारों पर और सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित होने पर ही नामंजूर किया जा सकता है।

8. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता हित संघर्ष से बचेगा और इसके हित का पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा ।

9. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता किसी हित संघर्ष की स्थिति जो इसके कारबार के संचालन में पैदा हो सकती हो का निवारण करने के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करेगा या जहाँ कोई हित संघर्ष पैदा होता है, तो इसका निवारण करने मे लिए साम्यापूर्ण रीति में युक्तियुक्त कदम उठायेगा ।

10. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता ग्राहक को कर्तव्य एवं हित संघर्ष के इसके संभव स्रोत या संभाव्य क्षेत्रों का समुचित प्रकटीकरण करेगा जो ऋजु, उद्देश्यप्रद और अपक्षपाती सेवाएँ देने में इसकी योग्यता को ह्रासित करेंगे ।

11. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता किसी अऋजु प्रतियोगिता में लिप्त नहीं होगा, जिससे अन्य निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता या विनिधानकर्ताओं के हितों को अपहानि होने की संभावना है या ऐसे अन्य रजिस्ट्रारों के निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के संबंध में प्रतिकूल स्थिति में आ जाने की संभावना है किसी कर्तव्यभार हेतु प्रतियोगिता या के निष्पादन के समय ।

12. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सदैव ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सलाह देने का प्रयास करेगा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।

13. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता अन्य ग्राहकों, प्रेस या किसी अन्य व्यक्ति को इसके ग्राहकों के बारे में कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा जो इसकी जानकारी में आ गयी हो, ग्राहकों के अनुमोदन / प्राधिकरण अथवा जब किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन जानकारी प्रकट करना अपेक्षित हो के बिना ।

14. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता इसके ग्राहकों में विभेद नहीं करेगा, इसके सिवाय और इसे छोड़कर कि सदाचारिक और वाणिज्यिक बातों पर ।

15. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में किसी परिवर्तन / बोर्ड द्वारा की गई किसी शास्तिक कार्रवाई या वित्त में किसी तात्विक परिवर्तन जो ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो की सूचना ग्राहकों को तत्परता से दी जाती है।

16. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता ज्ञान और सक्षमता का अपेक्षित स्तर बनाये रखेगा और अधिनियम, बोर्ड द्वारा जारी नियमों, विनियमों, परिपत्रों और निदेशों के उपबंधों का पालन करेगा । निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णायक के पंचाट का भी अनुपालन करेगा ।

17. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता बोर्ड के साथ सहयोग करेगा जब कभी भी अपेक्षित हो ।

18. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता बोर्ड या अन्य एजेंसियों जिनके पास यह रजिस्ट्रीकृत है को ऐसी बहियाँ, दस्तावेज, पत्राचार, और कागजपत्र या उनका कोई भाग प्रस्तुत करने की उपेक्षा नहीं करेगा या में विफल नहीं होगा या से इंकार नहीं करेगा जैसी समय-समय पर मांग / अनुरोध किया जाये।

19. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड को बोर्ड की या किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियमों, विनियमों, निदेशों के किसी तात्विक भंग या की इसके द्वारा अननुपालना की बाबत इसके खिलाफ शुरु की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि की सूचना तत्परता से दी जाती है ।

20. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक कदम उठायेगा कि आँकड़ों और अभिलेख को रखने की निरंतरता को बनाये रखा जाता है और कि आँकड़े या अभिलेख खोते या नष्ट नहीं होते हैं । यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और आँकड़ों के लिए, इसके पास सदैव अद्यतन बैक-अप उपलब्ध है ।

21. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता इसके खिलाफ या इसके द्वारा किये गये क्रियाकलापों की बाबत समस्त शिकायतों का यथासंभव शीघ्र निवारण करने का प्रयास करेगा।

22. (क) निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता या इसके कर्मचारियों में से कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया में किसी

प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह, चाहे वास्तविक समय या अवास्तविक समय आधार पर नहीं देगा, जब तक कि उक्त प्रतिभूति में इसकी बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री का प्रकटीकरण न किया गया हो, ऐसी सलाह देते समय ।

(ख) यदि, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता का कर्मचारी ऐसी सलाह दे रहा है, तो निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि यह इसके अपने हित, उसके आश्रित पारिवारिक सदस्यों और नियोक्ता के भी हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में उनकी बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है देता है, ऐसी सलाह देते समय।

23. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता समस्त अभिलेख / आँकड़े और सभी संबंधित दस्तावेज जो निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के तौर पर इसकी हैसियत में इसके कब्जे में है, अपने ग्राहकों को सौंपेगा, अपने ग्राहकों से करार के पर्यवसान की तारीख से एक महीने के अंदर अथवा निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के तौर पर रजिस्ट्रीरण के प्रमाणपत्र के अवसान/रद्दकरण की तारीख से एक महीने के अंदर, जो पूर्वतर हो।

24. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता ग्राहकों को बढ़ा-चढ़ाकर कोई कथन नहीं करेगा, चाहे मौखिक हो या लिखित, न तो कतिपय सेवाएँ देने में इसकी योग्यता या क्षमता के बारे में न ही अन्य ग्राहकों को दी गई सेवाओं के संबंध में इसकी उपलब्धियों के बारे में।

25. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि इसके पास समाधानप्रद आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ उपलब्ध हों और साथ ही पर्याप्त वित्तीय तथा प्रचालनगत क्षमताएँ हों जो चोरी, कपट, और अन्य बेईमानी के कृत्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों के कारण उद्भूत किन्हीं हानियों से सावधानी बरतने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकती हैं ।

26. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता इसके अनुपालना अधिकारी को इसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ देगा ।

27. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता इसके आंतरिक प्रचालनों को नियंत्रित करने और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में और उद्योग के भाग के रूप में इसके कर्तव्यों को निभाने में समुचित संचालन के इसके मानकों को अधिकथित करने के लिए इसकी स्वयं की आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा । ऐसी संहिता वृत्तिक उत्कर्ष तथा मानकों,

सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, उद्देश्यप्रदता, हित संघर्ष से बचाव, शेयरधारिताओं तथा हितों के प्रकटीकरण आदि को बनाये रख सकेगी ।

28. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कंपनी (निगम) नीतियाँ और कंपनी शासन उपलब्ध हो।

29. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जिसे यह कारबार संचालन के लिए नियोजित या नियुक्त करता है उपयुक्त तथा उचित है और अन्यथा इस प्रकार नियोजित या नियुक्त (जिसमें सुसंगत वृत्तिक प्रशिक्षण या अनुभव रखने वाला सम्मिलित है) हैसियत में कार्य करने के लिए अर्हित है ।

30. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता इसके कारबार के संचालन की बाबत इसके कर्मचारियों और एजेंटों के कृत्यों या लोपों के लिए जिम्मेदार होगा ।

31. निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता, प्रतिभूतियों में किन्हीं व्यौहारों की बाबत,-

क. मिथ्या बाजार के सृजन ;
ख. कीमत हेरफेर या छलसाधन ;
ग. प्रतिभूतियों जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं की बाबत अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती को देने

में पक्षकार नहीं होगा या के लिए अभिकरण नहीं होगा ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18341/2003]
ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 मूल विनियम, सं.सेबी/एल ई/5/93, 31 मई, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. यह तत्पश्चात् -

(क) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा

(ख) 17 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1997 जो भारत के राजपत्र, का.आ.सं. 660(अ), में प्रकाशित हुआ था द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.14(अ), द्वारा

(घ) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.796(अ), द्वारा

(ङ) 17 नवंबर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1120(अ), द्वारा

(च) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा

(छ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(ज) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2003

Securities and Exchange Board of India
(Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1157(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 -

a. For the existing Schedule III, the following Schedule III shall be substituted, namely : -

"*Schedule III*

Securities and Exchange Board of India
(Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993
[Regulation 13]

CODE OF CONDUCT

1. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall maintain high standards of integrity in the conduct of its business.
2. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall fulfill its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
3. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
4. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall exercise adequate care, caution and due diligence before dematerialisation of securities by confirming and verifying that the securities to be dematerialized have been granted listing permission by the stock exchange/s.
5. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall always endeavor to ensure that -
   a) inquiries from investors are adequately dealt with;
   b) grievances of investors are redressed without any delay;
   c) transfer of securities held in physical form and confirmation of dematerialisation / rematerialisation requests and distribution of corporate benefits and allotment of securities is done within the time specified under any law .
6. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the information provided to the investors is not misleading.
7. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not reject the dematerialisation / rematerialisation requests on flimsy grounds. Such request could be rejected only on valid and proper grounds and supported by relevant documents.

8. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest.

9. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.

10. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

11. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other Registrar to the issue and Share Transfer Agent or investors or is likely to place such other Registrar in a disadvantageous position in relation to the Registrar to issue and Share Transfer Agent while competing for or executing any assignment.

12. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall always endeavor to render the best possible advice to the clients having regard to their needs.

13. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not divulge to other clients, press or any other person any confidential information about its clients which has come to its knowledge except with the approval / authorisation of the clients or when it is required to disclose the information under any law for the time being in force.

14. A Registrar to an Issue or Share Transfer Agent shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.

15. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that any change in registration status / any penal action taken by the Board or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients / investors is promptly informed to the clients.

16. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall maintain the required level of knowledge and competency and abide by the provisions of the Act, rules, regulations, circulars and directions issued by the Board. The Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall also comply with the

award of the Ombudsman passed under Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

17. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall co-operate with the Board as and when required.

18. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not neglect or fail or refuse to submit to the Board or other agencies with which he is registered, such books, documents, correspondence, and papers or any part thereof as may be demanded / requested from time to time.

19. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceeding etc. initiated against it in respect of any material breach or non compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the Board or of any other regulatory body.

20. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. Further, it shall ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.

21. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall endeavor to resolve all the complaints against it or in respect of the activities carried out by it as quickly as possible.

22. (a) A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent or any of its employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of its long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.

(b) In case, an employee of a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent is rendering such advice, the Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that it also discloses its own interest, the interests of his dependent family members and that of the employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

23. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall hand-over all the records/ data and all related documents which are in its possession in its capacity as a Registrar to an Issue and / or Share Transfer Agent to the respective clients, within one month from the date of termination of agreement with the respective clients or within one month from the date of expiry/cancellation of certificate of registration as Registrar to an Issue and / or Share Transfer Agent, whichever is earlier.

24. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, to the clients either about its qualifications or capability to render certain services or about its achievements in regard to services rendered to other clients.

25. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that it has satisfactory internal control procedures in place as well as adequate financial and operational capabilities which can be reasonably expected to take care of any losses arising due to theft, fraud and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

26. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of its duties.

27. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in carrying out its duties as a Registrar to an Issue and Share Transfer Agent and as a part of the industry. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests etc.

28. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.

29. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and

otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed (including having relevant professional training or experience).

30. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect of the conduct of its business.

31. A Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall not, in respect of any dealings in securities, be party to or instrumental for -

a) creation of false market;

b) price rigging or manipulation;

c) passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/18341/2003]
GYANENDRA NATH BAJPAI, Chairman

Foot note :

1. Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, the principal regulation, was published in the Gazette of India on May 31, 1993 vide No. SEBI / LE/ 5/93.

2. It was subsequently amended –

(a) on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E).

(b) on September 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agent) (Amendment) Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India vide No. S.O. 660 9E).

(c) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agent) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 14 (E).

(d) on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agent) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 796 (E).

(e) on November 17, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O.1120 (E).

(f) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).

(g) on May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

(h) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1158(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1.(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 में -

क. विद्यमान अनुसूची III के लिए, निम्नलिखित अनुसूची III प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"*अनुसूची III*

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(हामीदार) विनियम, 1993

[विनियम 13]

हामीदारों के लिए आचार संहिता

1. हामीदार इसके ग्राहकों के हितों का संरक्षण करने के लिए समस्त प्रयास करेगा ।

2. हामीदार इसके कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा, गरिमा और औचित्य के उच्च मानक बनाये रखेगा ।

3. हामीदार सुनिश्चित करेगा कि यह और इसके कार्मिक प्रतिभूतियों का निर्गम करने वाले निगमित निकाय (इसमें इसके पश्चात् अनुसूची में "निर्गमकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट) के साथ इसके समस्त व्यौहारों में सदाचारिक रीति में कार्य करेंगे ।

4. हामीदार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि समस्त वृत्तिक व्यौहार तत्पर, दक्ष और प्रभावी रीति में किये जाते हैं ।

5. हामीदार, सभी समयों पर, सेवा के उच्च मानक देगा, सम्यक तत्परता बरतेगा, समुचित सतर्कता सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करेगा ।

6. हामीदार कोई कथन नहीं करेगा, या तो मौखिक या लिखित, जो -

   (क) उन सेवाओं का जिन्हें कि हामीदार इसके ग्राहक के लिए करने में समर्थ है, या ने किसी अन्य निर्गमकर्ता कंपनी को दी हैं ;
   (ख) उसकी हामीदारी प्रतिबद्धता का

   दुर्व्यपदेशन करेगा ।

7. हामीदार हित संघर्ष से बचेगा और उसके हित का पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा ।

8. हामीदार किसी हित संघर्ष की स्थिति जो इसके कारबार के संचालन में पैदा हो सकती हो का निवारण करने के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करेगा या जहाँ कोई हित संघर्ष पैदा होता है, तो इसका निवारण करने के लिए साम्यापूर्ण रीति में युक्तियुक्त कदम उठायेगा ।

9. हामीदार ग्राहक को हामीदार के रूप में कार्य करने के दौरान होनेवाले कर्तव्य एवं हित संघर्ष के इसके संभव स्रोत या संभाव्य क्षेत्रों का समुचित प्रकटीकरण करेगा जो ऋजु, उद्देश्यप्रद और अपक्षपाती सेवाएँ देने में इसकी योग्यता को ह्रासित करेंगे ।

10. हामीदार अन्य निर्गमकर्ता, प्रेस या किसी पक्षकार को इसकी निर्गमकर्ता कंपनी के बारे में कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा, जो इसकी जानकारी में आ गयी हो और विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित बोर्ड को और निर्गमकर्ता कंपनी के निदेशक बोर्ड को भी प्रकटीकरण किये बिना किसी निर्गमकर्ता कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यौहार नहीं करेगा ।

11. हामीदार इसके ग्राहकों में विभेद नहीं करेगा, इसके सिवाय और इसे छोड़कर कि सदाचारिक और वाणिज्यिक बातों पर ।

12. हामीदार सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में किसी परिवर्तन / बोर्ड द्वारा की गई किसी शास्तिक कार्रवाई या वित्त में किसी तात्विक परिवर्तन जो ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो की सूचना ग्राहकों को तत्परता से दी जाती है और शेष बकाया कोई कारबार एक अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रभावित ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के किन्हीं अनुदेशों के अनुसार अंतरित कर दिया जाता है।

13. हामीदार ज्ञान और सक्षमता का समुचित स्तर बनाये रखेगा और अधिनियम, बोर्ड द्वारा जारी विनियमों और परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों का पालन करेगा । हामीदार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णायक के पंचाट का भी अनुपालन करेगा ।

14. हामीदार सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड को बोर्ड की या किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियमों, विनियमों, निदेशों के किसी तात्विक भंग या की इसके द्वारा अननुपालना की बाबत इसके खिलाफ शुरु की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि की सूचना तत्परता से दी जाती है ।

15. हामीदार बोर्ड को प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या जानकारी में कोई असत्य कथन नहीं करेगा या कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपायेगा ।

16.

(क) हामीदार या उसके कर्मचारियों में से कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया में किसी प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह, चाहे वास्तविक समय या अवास्तविक समय आधार पर नहीं देगा, जब तक कि उसके हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में इसकी बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है न किया गया हो, ऐसी सलाह देते समय ।

(ख) यदि, हामीदार का कर्मचारी ऐसी सलाह दे रहा है, तो हामीदार सुनिश्चित करेगा कि वह उसके हित, उसके आश्रित पारिवारिक सदस्यों और नियोक्ता के भी हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में उनकी बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है करेगा, ऐसी सलाह देते समय।

17. हामीदार या इसके निदेशकों, भागीदारों में से कोई, या प्रबंधक जिसके पास कारबार के कामकाज का संपूर्ण या पर्याप्त रूप से संपूर्ण प्रबंधन हो, या तो इसके खाते या उनके संबंधित खातों के माध्यम से या उनके सहयुक्तों या पारिवारिक सदस्यों, नातेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अंतरंग व्यापार में लिप्त नहीं होगा ।

18. हामीदार किसी अऋजु प्रतियोगिता में लिप्त नहीं होगा, जिससे हामीदारी का कारबार करने वाले अन्य हामीदारों के हित के प्रति अपहानिकर होने की संभावना है या हामीदार के संबंध में ऐसे अन्य हामीदारों के प्रतिकूल स्थिति में आ जाने की संभावना है किसी कर्तव्यभार हेतु प्रतियोगिता या के संपादन के समय ।

19. हामीदार के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ और वित्तीय तथा प्रचालनगत क्षमताएँ होंगी जो इसके प्रचालनों, इसके ग्राहकों और अन्य रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं (एंटिटीज) को चोरी, कपट, और अन्य बेईमानी के कृत्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों से उद्भूत वित्तीय हानि से संरक्षित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकती हैं ।

20. हामीदार इसके अनुपालना अधिकारी को उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ देगा ।

21. हामीदार इसके आंतरिक प्रचालनों को नियंत्रित करने और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए उनके कर्तव्यों को निभाने में समुचित संचालन के इसके मानकों को अधिकथित करने के लिए इसकी स्वयं की आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा । ऐसी संहिता वृत्तिक उत्कर्ष तथा मानकों, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, उद्देश्यप्रदता, हित संघर्ष से बचाव, शेयरधारिताओं तथा हितों के प्रकटीकरण आदि को बनाये रख सकेगी ।

22. हामीदार सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कंपनी (निगम) नीतियाँ और कंपनी शासन उपलब्ध हो।

23. हामीदार सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जिसे यह कारबार संचालन के लिए नियोजित या नियुक्त करता है उपयुक्त तथा उचित है और अन्यथा इस प्रकार नियोजित या नियुक्त (जिसमें सुसंगत वृत्तिक प्रशिक्षण या अनुभव रखने वाला सम्मिलित है) हैसियत में कार्य करने के लिए अर्हित है ।

24. हामीदार सुनिश्चित करेगा कि इसके पास तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और यह इसकी ओर से कारबार का संचालन करने के लिए इसके द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों का तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करता है ।

25. हामीदार इसके कारबार के संचालन की बाबत इसके कर्मचारियों और एजेंटों के कृत्यों या लोपों के लिए जिम्मेदार होगा ।

26. हामीदार सुनिश्चित करेगा कि ज्येष्ठ प्रबंधन, विशिष्टतया विनिश्चयकर्ताओं को यथासमय आधार पर कारबार के बारे में समस्त सुसंगत जानकारी तक पहुंच हो ।

27. हामीदार -

क. मिथ्या बाजार के सृजन ;

ख. कीमत हेरफेर या छलसाधन ; या

ग. प्रतिभूतियों जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं की बाबत अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती को देने

में पक्षकार नहीं होगा या के लिए अभिकरण नहीं होगा । "

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18342/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993, मूल विनियम, सं.एलई/10/93, 8 अक्तूबर 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 तत्पश्चात् :

(क) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

(ख) 17 जनवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 46(अ), द्वारा

(ग) 1 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 21 (अ), द्वारा

(घ) 30 सितंबर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 797(अ), द्वारा

(ङ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा

(च) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(छ) 27 सितंबर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

(ज) 10 दिसम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1291(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2003

Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1158(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 -

a. For the existing Schedule III, the following schedule III shall be substituted, namely : -

"*Schedule III*

Securities and Exchange Board of India
(Underwriters) Regulations, 1993
[Regulation 13]

CODE OF CONDUCT FOR UNDERWRITERS

1. An underwriter shall make all efforts to protect the interests of its clients.
2. An Underwriter shall maintain high standards of integrity, dignity and fairness in the conduct of its business.

3. An underwriter shall ensure that it and its personnel will act in an ethical manner in all its dealings with a body corporate making an issue of securities (hereinafter referred to in the schedule as "the issuer").
4. An Underwriter shall endeavor to ensure all professional dealings are effected in a prompt, efficient and effective manner.
5. An Underwriter shall, at all times, render high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgement.
6. An underwriter shall not make any statement, either oral or written, which would misrepresent -

   (a) the services that the underwriter is capable of performing for its client, or has rendered to any other Issuer Company;

   (b) his underwriting commitment.

7. An Underwriter shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of his interest.
8. An Underwriter shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.
9. An Underwriter shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as Underwriter which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.
10. An underwriter shall not divulge to other Issuer, Press or any party any confidential information about its Issuer Company, which has come to its knowledge and deal in securities of any Issuer Company without making disclosure to the Board as required under the regulations and also to the Board of Directors of the Issuer Company.
11. An Underwriter shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.

12. An Underwriter shall ensure that any change in registration status / any penal action taken by board or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients / investors is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients/investors.

13. An Underwriter shall maintain an appropriate level of knowledge and competency and abide by the provisions of the Act, regulations and circulars and Guidelines issued by the Board. The underwriter shall also comply with the award of the Ombudsman passed under Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

14. An Underwriter shall ensure that the board is promptly informed about any action, legal proceedings etc. initiated against it in respect of any material breach or non compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the board or of any other regulatory body.

15. An underwriter shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Board.

16. (a) An underwriter or any of his employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of his interest including its long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.

(b) In case, an employee of an underwriter is rendering such advice, the underwriter shall ensure that he shall disclose his interest, the interest of his dependent family members and that of the employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

17. An Underwriter or any of its directors, partners or manager having the management of the whole or substantially the whole of affairs of the business, shall not either through its account or their respective accounts or through their associates or family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

18. An Underwriter shall not indulge in any unfair competition, which is likely to be harmful to the interest of other underwriters carrying on the business of underwriting or likely to place such other underwriters in a disadvantageous position in relation to the underwriter while competing for, or carrying out any assignment.
19. An Underwriter shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its clients and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.
20. An Underwriter shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of his duties.
21. An Underwriter shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties . Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests etc.
22. An Underwriter shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place.
23. An Underwriter shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed (including having relevant professional training or experience)
24. An Underwriter shall ensure that it has adequate resources to supervise diligently and does supervise diligently persons employed or appointed by it to conduct business on its behalf.
25. An Underwriter shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect to the conduct of its business.
26. An Underwriter shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis.

27. An Underwriter shall not be party to or instrumental for -

a. Creation of false market;

b. Price rigging or manipulation, or;

c. Passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/18342/2003]
GYANENDRA NATH BAJPAI, Chairman

Foot Note :

1. SEBI (Underwriters) Regulation, 1993 the principal regulation was published in the Gazette of India on October 8, 1993, vide No. LE/10/93.

2. The Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 was subsequently amended :

a. on November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E).

b. on January 17, 1997 by the SEBI (Underwriters) Amendment Regulations, 1997 vide No. S.O. 46 (E).

c. on January 01, 1998 by the SEBI (Underwriters) Amendment Regulations, 1998 vide No. S.O. 21 (E).

d. on September 30, 1999 by the SEBI (Underwriters) Amendment Regulations, 1999 vide No. S.O. 797 (E).

e. on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).

f. on May 29, 2001 by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

g. on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

h. on December 10, 2002 by the SEBI (Underwriters) Amendment Regulations, 2002 vide No. S.O. 1291 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1159(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

   (ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में -

क. विद्यमान अनुसूची III के लिए, निम्नलिखित अनुसूची III प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"*अनुसूची III*

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994

[विनियम 16]

आचार संहिता

1. निर्गमन बैंककार विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए समस्त प्रयास करेगा ।

2. निर्गमन बैंककार इसके कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा और औचित्य के उच्च मानकों का पालन करेगा ।

3. निर्गमन बैंककार तत्पर, सदाचारिक और वृत्तिक रीति में इसकी बाध्यताओं को पूरा करेगा ।

4. निर्गमन बैंककार सभी समयों पर सम्यक तत्परता बरतेगा, समुचित सतर्कता सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करेगा ।

5. निर्गमन बैंककार किसी समय अन्य मध्यवर्तियों या निर्गमकर्ता की दुस्संधि से रीति जो विनिधानकर्ता के प्रति अहितकर हो में कार्य नहीं करेगा ।

6. निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि -

क. विनिधानकर्ताओं से पूछताछों पर पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जाती है ;

ख. विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को यथासमय और समुचित रीति में दूर किया जाता है ;

ग. जहाँ शिकायत का उपचार तत्परता से नहीं किया जाता है, तो विनिधानकर्ता को किन्हीं अगले उपायों की सूचना दी जाती है जो विनियामक प्रणाली के अधीन विनिधानकर्ता को उपलब्ध हों ।

7. निर्गमन बैंककार -

(क) खाली आवेदन प्ररूपों जिन पर दलालों की मुहर लगी हुई हो को बैंक के परिसर में रखे जाने या परिसर के प्रवेश के निकट कहीं भी उपलब्ध कराये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ;

(ख) कार्यालय समय के पश्चात् या निर्गम के बंद होने की तारीख के पश्चात् या बैंक अवकाशादिनों को आवेदन स्वीकार नहीं करेगा ;

(ग) सार्वजनिक निर्गम के बंद होने के पश्चात् नामनिर्दिष्ट निर्गम रजिस्ट्रार से भिन्न किसी अन्य स्रोत से किन्हीं लिखतों यथा चेकों / डिमांड ड्राफ्टों / स्टॉक इन्वेस्टों को स्वीकार नहीं करेगा ;

(घ) निर्गम आगमों से अलग नहीं होगा जब तक सूचीबद्धता अनुज्ञा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निगमित निकाय को प्रदान नहीं कर दी जाती है ;

(ङ) निर्गम रजिस्ट्रार, अग्रणी प्रबंधक और निगमित निकाय को संग्रहण आँकड़ों से संबंधित अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब नहीं करेगा और ऐसे आँकड़े निर्गम के बंद होने की तारीख से सात कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहियें ।

8. निर्गमन बैंककार उसके द्वारा उसके ग्राहकों की ओर से प्राप्त या संग्रहित लाभांशों, ब्याजों, या किसी ऐसी प्रोदभवन आय के संवितरण में तत्पर होगा ।

9. निर्गमन बैंककार ग्राहक को बढ़ा-चढ़ाकर कोई कथन नहीं करेगा, चाहे मौखिक हो या लिखित, न तो कतिपय सेवाएँ देने में इसकी योग्यता या क्षमता न ही अन्य ग्राहकों को दी गई सेवाओं के संबंध में इसकी उपलब्धियों के बारे में ।

10. निर्गमन बैंककार सदैव ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सलाह देने का प्रयास करेगा ग्राहकों की आवश्यकताओं और परिवेश और उसके स्वयं के व्यावसायिक कौशल को ध्यान में रखते हुए।

11. निर्गमन बैंककार किसी को चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, इसके ग्राहकों के बारे में कोई गोपनीय जानकारी जो इसकी जानकारी में आ गयी हो, इसके ग्राहकों की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना प्रकट नहीं करेगा सिवाय इसके कि जहाँ ऐसे प्रकटीकरण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अनुपालना में किये जाने अपेक्षित हों ।

12. निर्गमन बैंककार हित संघर्ष से बचेगा और उसके हित का पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा ।

13. निर्गमन बैंककार किसी हित संघर्ष की स्थिति जो इसके कारबार के संचालन में पैदा हो सकती हो का निवारण करने के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करेगा या जहाँ कोई हित संघर्ष पैदा होता है, तो इसका निवारण करने मे लिए साम्यापूर्ण रीति में युक्तियुक्त कदम उठायेगा ।

14. निर्गमन बैंककार ग्राहक को निर्गमन बैंककार के रूप में कार्य करने के दौरान होनेवाले कर्तव्य एवं हित संघर्ष के इसके संभव स्त्रोत या संभाव्य क्षेत्रों का समुचित प्रकटीकरण करेगा जो ऋजु, उद्देश्यप्रद और अपक्षपाती सेवाएँ देने में इसकी योग्यता को ह्रासित करेंगे ।

15. निर्गमन बैंककार किसी अऋजु प्रतियोगिता में लिप्त नहीं होगा, जिससे अन्य निर्गमन बैंककारों या विनिधानकर्ताओं के हितों को अपहानि होने की संभावना है या ऐसे अन्य निर्गमन बैंककारों के प्रतिकूल स्थिति में आ जाने की संभावना है किसी कर्तव्यभार हेतु प्रतियोगिता या के निष्पादन के समय ।

16. निर्गमन बैंककार इसके ग्राहकों में विभेद नहीं करेगा, इसके सिवाय और इसे छोड़कर कि सदाचारिक और वाणिज्यिक बातों पर ।

17. निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में किसी परिवर्तन / बोर्ड द्वारा की गई किसी शास्तिक कार्रवाई या वित्त में किसी तात्विक परिवर्तन जो ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो की सूचना ग्राहकों को तत्परता से दी जाती है और शेष बकाया कोई कारबार एक अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रभावित ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के किन्हीं अनुदेशों के अनुसार अंतरित कर दिया जाता है।

18. निर्गमन बैंककार ज्ञान और सक्षमता का समुचित स्तर बनाये रखेगा और अधिनियम, बोर्ड के विनियमों, परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों का पालन करेगा । निर्गमन बैंककार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णायक के पंचाट का भी अनुपालन करेगा ।

19. निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड को बोर्ड की या किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियमों, विनियमों, और निदेशों के किसी तात्विक भंग या की इसके द्वारा अननुपालना की बाबत इसके खिलाफ शुरु की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि की सूचना तत्परता से दी जाती है ।

20. निर्गमन बैंककार बोर्ड को प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या जानकारी में कोई असत्य कथन नहीं करेगा या कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपायेगा ।

21. निर्गमन बैंककार बोर्ड या अन्य एजेंसियों जिनके पास यह रजिस्ट्रीकृत है को ऐसी बहियाँ, दस्तावेज, पत्राचार, और कागजपत्र या उनका कोई भाग प्रस्तुत करने की उपेक्षा नहीं करेगा या में विफल नहीं होगा या से इंकार नहीं करेगा जैसी समय-समय पर मांग / अनुरोध किया जाये।

22. निर्गमन बैंककार ऐसे अधिनियमों और नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, संकल्पों, अधिसूचनाओं, निदेशों, परिपत्रों और अनुदेशों के उपबंधों का पालन करेंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ या बोर्ड द्वारा जारी किये जायें और जो निर्गमन बैंककार द्वारा किये गये क्रियाकलापों के प्रति लागू तथा सुसंगत हों ।

23.

(क) निर्गमन बैंककार या उसके कर्मचारियों में से कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया में किसी प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह, चाहे वास्तविक समय या अवास्तविक समय आधार पर नहीं देगा, जब तक कि इसके हित का प्रकटीकरण जिसमें उक्त प्रतिभूति में बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है न किया गया हो, ऐसी सलाह देते समय ।

(ख) यदि, निर्गमन बैंककार का कर्मचारी ऐसी सलाह दे रहा है, तो निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करेगा कि वह उसके हित, उसके आश्रित पारिवारिक सदस्यों और नियोक्ता के भी हित को प्रकट जिसमें उक्त प्रतिभूति में नियोक्ता की बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है करता है, ऐसी सलाह देते समय ।

24. निर्गमन बैंककार या इसके निदेशकों में से कोई, या कर्मचारी जिसके पास कारबार के कामकाज का संपूर्ण या पर्याप्त रूप से संपूर्ण प्रबंधन हो, या तो इसके खाते या उनके संबंधित खातों के माध्यम से या उनके पारिवारिक सदस्यों, नातेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अंतरंग व्यापार में लिप्त नहीं होगा ।

25. निर्गमन बैंककार के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ और वित्तीय तथा प्रचालनगत क्षमताएँ होंगी जो इसके प्रचालनों, इसके ग्राहकों, विनिधानकर्ताओं और अन्य रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं (एंटिटीज) को चोरी, कपट, और अन्य बेईमानी के कृत्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों से उद्भूत वित्तीय हानि से संरक्षित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकती हैं ।

26. निर्गमन बैंककार इसके अनुपालना अधिकारी को इसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ देगा ।

27. निर्गमन बैंककार इसके आंतरिक प्रचालनों को नियंत्रित करने और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए निर्गमन बैंककार के रूप में और उद्योग के भाग के रूप में उनके कर्तव्यों को निभाने में समुचित संचालन के इसके मानकों को अधिकथित करने के लिए इसकी स्वयं की आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा । ऐसी संहिता वृत्तिक उत्कर्ष तथा मानकों, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, उद्देश्यप्रदता, हित संघर्ष से बचाव, शेयरधारिताओं तथा हितों के प्रकटीकरण आदि को बनाये रख सकेगी ।

28. निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति जिसे यह कारबार संचालन के लिए नियोजित या नियुक्त करता है उपयुक्त तथा उचित है और अन्यथा इस प्रकार नियोजित या नियुक्त (जिसमें सुसंगत वृत्तिक प्रशिक्षण या अनुभव रखने वाला सम्मिलित है) हैसियत में कार्य करने के लिए अर्हित है ।

29. निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करेगा कि इसके पास तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और यह इसकी ओर से कारबार का संचालन करने के लिए इसके द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों का तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षण करता है ।

30. निर्गमन बैंककार इसके कारबार के संचालन की बाबत इसके कर्मचारियों और एजेंटों के कृत्यों या लोपों के लिए जिम्मेदार होगा ।

31. निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करेगा कि ज्येष्ठ प्रबंधन, विशिष्टतया विनिश्चयकर्ताओं को यथासमय आधार पर कारबार के बारे में समस्त सुसंगत जानकारी तक पहुंच हो ।

32. बोर्ड के पास अन्य हैसियत में भी रजिस्ट्रीकृत निर्गमन बैंककार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निर्गमन बैंककार के रूप में किये गये क्रियाकलापों और अन्य अनुज्ञात क्रियाकलापों के बीच जनशक्ति और अवसंरचना दोनों के संबंध में समुचित दूरी का संबंध बनाये रखा जाता है ।

33. निर्गमन बैंककार -

क. मिथ्या बाजार के सृजन ;

ख. कीमत हेरफेर या छलसाधन ; या

ग. प्रतिभूतियों जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं की बाबत अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती को देने

में पक्षकार नहीं होगा या के लिए अभिकरण नहीं होगा । "

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18345/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, मूल विनियम, सं. एलई/7/94, 14 जुलाई 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. यह तत्पश्चात् -

(क) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

(ख) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 15 (अ), द्वारा

(ग) 30 सितंबर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 800 (अ), द्वारा

(घ) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा

(ङ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(च) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2003

Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1159(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 -

a. For the existing Schedule III, the following schedule III shall be substituted, namely: -

"Schedule III

Securities and Exchange Board of India
*(*Bankers to an Issue*) Regulations, 1994*
[Regulation 16]

CODE OF CONDUCT

1. A Banker to an issue shall make all efforts to protect the interests of investors.

2. A Banker to an issue shall in the conduct of its business, observe high standards of integrity and fairness in the conduct of its business.
3. A Banker to an issue shall fulfill its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
4. A Banker to an issue shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
5. A Banker to an issue shall not at any time act in collusion with other intermediaries or the issuer in a manner that is detrimental to the investor.

6. A Banker to an issue shall endeavour to ensure that-
   a. inquiries from investors are adequately dealt with;
   b. grievances of investors are redressed in a timely and appropriate manner.;
   c. where a complaint is not remedied promptly, the investor is advised of any further steps which may be available to the investor under the regulatory system.
7. A Banker to an issue shall not -

   (a) allow blank application forms bearing brokers stamp to be kept at the bank premises or peddled anywhere near the entrance of the premises;

   (b) accept applications after office hours or after the date of closure of the issue or on bank holidays;

   (c) after the closure of the public issue accept any instruments such as cheques / demand drafts / stock invests from any other source other than the designated Registrar to the Issue;

   (d) part with the issue proceeds until listing permission is granted by the stock exchange to the body corporate;

(e) delay in issuing the final certificate pertaining to the collection figures to the Registrar to the Issue, the Lead Manager and the body corporate and such figures should be submitted within seven working days from the issue closure date.

8. A Banker to an Issue shall be prompt in disbursing dividends, interests, or any such accrual income received or collected by him on behalf of his clients.
9. A Banker to an issue shall not make any exaggerated statement, whether oral or written to the client, either about its qualification or capability to render certain services or its achievements in regard to services rendered to other clients.
10. A Banker to an issue shall always endeavour to render the best possible advice to the clients having regard to the clients' needs and the environments and his own professional skill.
11. A Banker to an issue shall not divulge to anybody either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about its clients which has come to its knowledge, without taking prior permission of its clients except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.
12. A Banker to an issue shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of his interest.
13. A Banker to an issue shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.
14. A Banker to an issue shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as Banker to an issue which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.
15. A Banker to an issue shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other Bankers to an issue or investors or is likely to place

such other Bankers to an issue in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.

16. A Banker to an issue shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.

17. A Banker to an issue shall ensure that any change in registration status / any penal action taken by board or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients / investors is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients/investors.

18. A Banker to an issue shall maintain an appropriate level of knowledge and competency and abide by the provisions of the Act, regulations, circulars and guidelines of the Board. The banker to an issue shall also comply with the award of the Ombudsman passed under Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

19. A Banker to an issue shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceedings etc. initiated against it in respect of any material breach or non compliance by it, of any law, rules, regulations, and directions of the Board or of any other regulatory body.

20. A Banker to an issue shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Board.

21. A Banker to an Issue shall not neglect or fail or refuse to submit to the Board or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence, and papers or any part thereof as may be demanded / requested from time to time.

22. A Banker to an issue shall abide by the provisions of such acts and rules, regulations, guidelines, resolutions, notifications, directions, circulars and instructions as may be issued from time to time by the Central government, the Reserve Bank of India, the Indian Banks Association or the Board and as may be applicable and relevant to the activities carried on by the Banker to an issue.

23. (a) A Banker to an issue or any of his employees shall not render, directly or indirectly, any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real- time, unless a disclosure of its interest including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.

(b) In case, an employee of the Banker to an issue is rendering such advice, the Banker to an issue shall ensure that he discloses his interest, the interest of his dependent family members and that of the employer including employer's long or short position in the said security, while rendering such advice.

24. A Banker to an issue or any of its directors, or employee having the management of the whole or substantially the whole of affairs of the business, shall not, either through its account or their respective accounts or through their family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

25. A Banker to an issue shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its clients, investors and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

26. A Banker to an issue shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of its duties.

27. A Banker to an issue shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties as a Banker to an issue and as a part of the industry. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests etc.

28. A Banker to an issue shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed (including having relevant professional training or experience).

29. A Banker to an issue shall ensure that it has adequate resources to supervise diligently and does supervise diligently persons employed or appointed by it to conduct business on its behalf.

30. A Banker to an issue shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect to the conduct of its business.

31. A Banker to an issue shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis.

32. A Banker to an Issue also registered with the Board in other capacity shall endeavor to ensure that arms length relationship is maintained in terms of both manpower and infrastructure between the activities carried out as Banker to an Issue and other permitted activities.

33. A Banker to an Issue shall not be a party to or instrumental for –

a. creation of false market;

b. price rigging or manipulation or;

c. passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/18345/2003]
GYANENDRA NATH BAJPAI, Chairman

Foot note :

1. Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 the principal regulation, was published in the Gazette of India on July 14, 1994, vide No. LE/7/94.

2. It was subsequently amended –

(a) on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India

(Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E).

(b) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 15 (E).

(c) on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 800 (E).

(d) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).

(e) on May 29, 2001 by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

(f). on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा) (संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1160(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में -

क. विद्यमान तीसरी अनुसूची के लिए, निम्नलिखित तीसरी अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"तीसरी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999

[विनियम 13]

आचार संहिता

1.	साख निर्धारण एजेंसी विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए समस्त प्रयास करेगी ।
2.	साख निर्धारण एजेंसी इसके कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा, गरिमा और औचित्य के उच्च मानकों का पालन करेगी ।
3.	साख निर्धारण एजेंसी तत्पर, सदाचारिक और वृत्तिक रीति में इसकी बाध्यताओं को पूरा करेगी ।
4.	साख निर्धारण एजेंसी रेटिंग प्रक्रिया में उद्देश्यप्रदता और स्वतंत्रता प्राप्त करने और बनाये रखने के लिए सभी समयों पर सम्यक तत्परता बरतेगी, समुचित सतर्कता सुनिश्चित करेगी और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करेगी।
5.	साख निर्धारण एजेंसी के पास रेटिंग मूल्यांकनों के निष्पादन के लिए युक्तियुक्त और पर्याप्त आधार होगा, समुचित और गहराई में रेटिंग अनुसंधानों के साथ। यह इसके विनिश्चयों के समर्थन के लिए रिकार्ड भी बनाये रखेगी।
6.	साख निर्धारण एजेंसी के पास रेटिंग प्रक्रिया होगी जो संगत और अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारण मानदंड प्रदर्शित करेगी।
7.	साख निर्धारण एजेंसी किसी अऋजु प्रतियोगिता में लिप्त नहीं होगी न ही यह उच्चतर रेटिंग के आश्वासन पर अन्य किसी रेटिंग एजेंसी के ग्राहकों को विमुख करेगी।

8.	साख निर्धारण एजेंसी ग्राहक कंपनियों से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का पिछला रिकार्ड रखेगी और यथासमय तथा सही रेटिंगों की प्राप्ति के लिए दक्ष और अनुक्रियाशील प्रणालियाँ विकसित करेगी। साख निर्धारण एजेंसी सभी सुसंगत कारकों जो निर्गमकर्ताओं साख को प्रभावित कर सकते हैं का निकटता से अनुश्रवण भी करेगी ।
9.	साख निर्धारण एजेंसी ग्राहकों, उपयोक्ता और जनता को इसकी रेटिंग पद्धति का प्रकटीकरण करेगी।
10.	साख निर्धारण एजेंसी, जहाँ कहीं आवश्यक हो, ग्राहकों को कर्तव्यों एवं हितों के संघर्ष के संभव स्रोतों का समुचित प्रकटीकरण करेगी जो ऋजु, उद्देश्यप्रद और अपक्षपाती रेटिंग करने में इसकी योग्यता को ह्रासित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित भी करेगी कि रेटिंग विश्लेषण में भाग लेनेवाले इसकी रेटिंग समिति के किसी सदस्य, और इसके किसी ग्राहक के बीच कोई भी हित संघर्ष विद्यमान नहीं है।
11.	साख निर्धारण एजेंसी ग्राहक को बढ़ा-चढ़ाकर कोई कथन नहीं करेगी, चाहे मौखिक हो या लिखित, न तो कतिपय सेवाएँ देने में इसकी योग्यता या क्षमता न ही अन्य ग्राहकों को दी गई सेवाओं के संबंध में इसकी उपलब्धियों के बारे में ।
12.	साख निर्धारण एजेंसी बोर्ड, स्टाक एक्सचेंज या बड़े पैमाने पर जनता को प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या जानकारी में कोई असत्य कथन नहीं करेगी, कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपायेगी या दुर्व्यपदेशन नहीं करेगी।
13.	साख निर्धारण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड को बोर्ड की या किसी अन्य विनियामक निकाय की किसी विधि, नियमों, विनियमों, और निदेशों के किसी तात्विक भंग या की इसके द्वारा अननुपालना का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ शुरु की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि की सूचना तत्परता से दी जाती है ।
14.	साख निर्धारण एजेंसी ज्ञान और सक्षमता का समुचित स्तर बनाये रखेगी और अधिनियम, विनियमों और परिपत्रों के उपबंधों का पालन करेगी, जो साख निर्धारण एजेंसी द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों के लिए प्रयोज्य और सुसंगत हो सकेगी। साख निर्धारण एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अधिनिर्णायक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णायक के पंचाट का भी अनुपालन करेगी ।
15.	साख निर्धारण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि किसी विशेषाधिकारयुक्त जानकारी जिसमें रेटिंग विनिश्चयों या परिवर्तनों का पूर्विक ज्ञान सम्मिलित है का दुरुपयोग नहीं किया गया।

16.	(क) साख निर्धारण एजेंसी या उसके कर्मचारियों में से कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया में किसी प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह नहीं देगा, (ख) साख निर्धारण एजेंसी रेटेड संस्थाओं को साख निर्धारणों और अनुसंधान के अलावा, फीस आधारित सेवाओं का प्रस्ताव नहीं करेगी।
17.	साख निर्धारण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में किसी परिवर्तन / बोर्ड द्वारा की गई किसी शास्तिक कार्रवाई या वित्त में किसी तात्विक परिवर्तन जो ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो की सूचना ग्राहकों को तत्परता से दी जाती है और शेष बकाया कोई कारबार एक अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रभावित ग्राहकों / विनिधानकर्ताओं के किन्हीं अनुदेशों के अनुसार अंतरित कर दिया जाता है।
18.	साख निर्धारण एजेंसी इसके साख निर्धारण क्रियाकलापों और किसी अन्य क्रियाकलाप के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाये रखेगा।
19.	साख निर्धारण एजेंसी इसके आंतरिक प्रचालनों को नियंत्रित करने और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए साख निर्धारण एजेंसी के भीतर और उद्योग के भाग् के रूप में उनके कर्तव्यों को निभाने में समुचित संचालन के इसके मानकों को अधिकथित करने के लिए इसकी स्वयं की आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगी । ऐसी संहिता वृत्तिक उत्कर्ष तथा मानकों, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, उद्देश्यप्रदता, हित संघर्ष से बचाव, शेयरधारिताओं तथा हितों के प्रकटीकरण आदि को बनाये रख सकेगी ऐसी संहिता रेटिंग समितियों की स्थापना और आचार एवं ऐसी समितियों में सेवा प्रदान करनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों के संबंध में प्रक्रियाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए भी उपबंध करेगी।
20.	साख निर्धारण एजेंसी इसके अनुपालना अधिकारी को उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ देगी ।
21.	साख निर्धारण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि ज्येष्ठ प्रबंधन, विशिष्टतया विनिश्चयकर्ताओं को यथासमय आधार पर कारबार के बारे में समस्त सुसंगत जानकारी तक पहुंच हो ।
22.	साख निर्धारण एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि अच्छी कंपनी (निगम) नीतियाँ और कंपनी

	शासन उपलब्ध हो।
23.	साख निर्धारण एजेंसी, इसके द्वारा रेटेड प्रतिभूतियों के निर्गमन की बाबत सामान्यत: और विशेषत:, - क. मिथ्या बाजार के सृजन ; ख. कीमत हेरफेर या छलसाधन ; या ग. प्रतिभूतियों जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं की बाबत किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के प्रसार , जब तक दी गयी रेटिंग के लिए औचित्य के भाग रूप में, अपेक्षित न हो, में पक्षकार नहीं होगी या के लिए अभिकरण नहीं होगी । "

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18343/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 की का.आ. सं.547(अ) के अधीन जारी हुए थे ।

2. भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात् -

(क) 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा

(ख) 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001 का.आ. सं.476(अ) द्वारा

(ग) 27 सितंबर 2002 को भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का.आ. सं.1045(अ) द्वारा

(घ) 19 फरवरी 2003 को भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 203 (अ) द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2003

Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second) (Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1160(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 -

a. For the existing THIRD SCHEDULE , the following THIRD SCHEDULE shall be substituted, namely : -

"THIRD SCHEDULE

Securities and Exchange Board of India
(Credit Rating Agencies) Regulations, 1999

[Regulation 13]

CODE OF CONDUCT

1. A credit rating agency shall make all efforts to protect the interests of investors.
2. A credit rating agency, in the conduct of its business, shall observe high standards of integrity, dignity and fairness in the conduct of its business.

3. A credit rating agency shall fulfill its obligations in a prompt, ethical and professional manner.

4. A credit rating agency shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment in order to achieve and maintain objectivity and independence in the rating process.

5. A credit rating agency shall have a reasonable and adequate basis for performing rating evaluations, with the support of appropriate and in depth rating researches. It shall also maintain records to support its decisions.

6. A credit rating agency shall have in place a rating process that reflects consistent and international rating standards.

7. A credit rating agency shall not indulge in any unfair competition nor shall it wean away the clients of any other rating agency on assurance of higher rating.

8. A credit rating agency shall keep track of all important changes relating to the client companies and shall develop efficient and responsive systems to yield timely and accurate ratings. Further a credit rating agency shall also monitor closely all relevant factors that might affect the creditworthiness of the issuers.
9. A credit rating agency shall disclose its rating methodology to clients, users and the public.
10. A credit rating agency shall, wherever necessary, disclose to the clients, possible sources of conflict of duties and interests, which could impair its ability to make fair, objective and unbiased ratings. Further it shall ensure that no conflict of interest exists

between any member of its rating committee participating in the rating analysis, and that of its client.

11. A credit rating agency shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, to the client either about its qualification or its capability to render certain services or its achievements with regard to the services rendered to other clients.

12. A credit rating agency shall not make any untrue statement, suppress any material fact or make any misrepresentation in any documents, reports, papers or information furnished to the Board, stock exchange or public at large.

13. A credit rating agency shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceedings etc., initiated against it alleging any material breach or non compliance by it, of any law, rules, regulations and directions of the Board or of any other regulatory body.

14. A credit rating agency shall maintain an appropriate level of knowledge and competence and abide by the provisions of the Act, regulations and circulars, which may be applicable and relevant to the activities carried on by the credit rating agency. The credit rating agency shall also comply with award of the Ombudsman passed under Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

15. A credit rating agency shall ensure that there is no misuse of any privileged information including prior knowledge of rating decisions or changes.

16. (a) A credit rating agency or any of his employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media.
(b) A credit rating agency shall not offer fee-based services to the rated entities, beyond credit ratings and research.

17. A credit rating agency shall ensure that any change in registration status (any penal action taken by board or any material change in financials which may adversely affect

the interests of clients / investors is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients/investors.

18. A credit rating agency shall maintain an arm's length relationship between its credit rating activity and any other activity.

19. A credit rating agency shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties within the credit rating agency and as a part of the industry. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests etc. Such a code shall also provide for procedures and guidelines in relation to the establishment and conduct of Rating Committees and duties of the officers and employees serving on such Committees.

20. A credit rating agency shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of his duties.

21. A credit rating agency shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis.

22. A credit rating agency shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.

23. A credit rating agency shall not, generally and particularly in respect of issue of securities rated by it, be party to or instrumental for -

(a) creation of false market;

(b) price rigging or manipulation; or

(c) dissemination of any unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange, unless required, as part of rationale for the rating accorded.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/18343/2003]
GYANENDRA NATH BAJPAI, Chairman

Foot note :

1. The principal regulations, SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.

2. SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on –

   (a) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette vide No. S.O. 278 (E).

   (b) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

   (c) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

   (d) February 19, 2003 by SEBI (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 203 (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.